

छत्तीस-२ न्यायालय

विषय :

याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी० 464/2016 श्री संदीप पाराशर विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य।

—00—

पंजी क्रमांक 241/2016/26-1 दिनांक 17/02/2016

—00—

डिप्टी रजिस्ट्रार मा० उच्च न्यायालय इन्दौर से प्राप्त पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ डिप्टी रजिस्ट्रार मा० उच्च न्यायालय इन्दौर से प्राप्त डब्ल्यूपी०/464/2016 श्री संदीप पाराशर विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य संबंध में प्रकरण विभाग में प्राप्त हुआ है।

3/ अतः उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश का प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु नस्ती संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को अंकित करना चाहेंगे।

अनुभाग अधिकारी

आदेशाधीन प्रकरण

~~उ० स०~~  
~~उ० स०~~

~~18/2/16~~  
18.2.16

P-1 से 27/C

A

17/1/16

'A' कार्यवाही हेतु नस्ती संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को अंकित करना चाहेंगे।

~~उ० स०~~

19.2.16

संयुक्त संचालक

23/2/16

उपनि. (प्रमाण) 26/2/16

36/224/2016/24-1  
23/02/16  
36/26/16



8/11/2016/261

विषय :

याचिका कमांक डब्ल्यूपी 464/2016 श्री संदीप पाराशर विरुद्ध मप्र शासन एवं अन्य।

—00—

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

विषयांकित प्रकरण में वादी श्री संदीप पाराशर एवं अन्य द्वारा नियमित पद पर नियमित वेतनमान न मिलने से माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में डब्ल्यू पी 464/2016 याचिका दायर की गई है।

2. प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादी क० 1 पर प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, प्रतिवादी क० 2 पर आयुक्त/संचालक सामाजिक न्याय विभाग, 1250 तुलसी नगर भोपाल, प्रतिवादी क० 3 पर संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय इंदौर संभाग इंदौर म.प्र. एवं प्रतिवादी क० 4 पर सचिव/अध्यक्ष मध्यप्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर म.प्र. को प्रतिवादी बनाया गया है।

3. चूंकि प्रकरण इंदौर जिले से संबंधित है, ऐसी स्थिति में शासन पक्ष समर्थन हेतु संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, इंदौर संभाग इंदौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

अतः अनुरोध है कि संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, इंदौर संभाग इंदौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर आदेश जारी करने का कष्ट करें।

संयुक्त संचालक

उप सचिव

[Signature]

[Signature]

4/3/16

[Signature]  
4.3.16[Signature]  
4-2281-82/2016/201  
05/03/16

[Signature]

जांच 9.1.2016 - 1/2016/17

दि. 3.3.16

79  
4/3/16No. 142 DSJ/2018  
Dated 04/3/16D. S. S. S. S. S.  
5-8-16



छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: मा.क्र. W.P.नं. 164/2016 श्री खंदीप पाराशर  
विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

मान. मंत्रीजी  
का विभाग  
मा. शा. वि.

पूर्व पृष्ठ से:-

कुपमा पूर्व पृष्ठ का अवलोकन करें।  
विषयों पर प्रकरण में दिनांक 5.3.2016 को जारी  
अधिकारी की नियुक्ति आदेश जारी कर दिये  
हैं।

P-28-31/C

अतः विभाग द्वारा जारी आदेश पर विधि  
एवं विधायी कार्य विभाग से प्रतिक्षा आदेश  
प्राप्त किये जाने हेतु नस्ती विधि विभाग को  
अर्कित किया जाना उचित होगा।

~~कु. म.~~  
~~अवर सचिव~~  
~~30/3/16~~

~~कु. म.~~  
8/3/16

~~कु. म.~~  
8.3.16

रिधि विभाग

9/3/16  
DS

सं. क्र. 54/18/11/2016/202  
दिनांक 09/03/16  
7897

कुपमा  
11.3.16

○  
छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

का विभाग



IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at IndoreProcess Id: 4104/2016

WP/464/2016

From

Deputy Registrar,  
High Court of Judicature  
at Indore

सामाजिक न्याय विभाग,

पंजी क्र.: 241/2016/120/261

दिनांक: 17/02/16

Against Admission

Fixed for 21-04-2016

WP-DA-6

Respondent No. 1

To,

The State of M.P.  
Through Principal Secretary,  
Social Welfare Department,  
Vallabh Bhawan Mantralaya,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Indore 23-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 464/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Sandeep Parashar** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/464/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **21-04-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



AFFIXED AT INDORE

Your's faithfully

DEPUTY REGISTRAR



मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
मंत्रालय  
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 5-3-2016

क्रमांक/एफ-8/11 /2016/26-1, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ( 1908 का अधिनियम संख्या क्रमांक-5 ) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर में दायर अर्थात्  
No. P. 464/16 श्री श्रीराम पाराशर एवं अन्य विरुद्ध  
म.प्र.शासन में संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय इंदौर विभाग  
को प्रकरण में मध्यप्रदेश राज्य के लिए उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अधिवक्ताओं पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने और उपसंज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी शर्तों के बिना नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- 1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और उक्त कांडिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा, यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उक्त विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जावेगी।
- 2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3) वाद पत्र याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि शासकीय



29-  
अभिभाषक की सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा।
- (6) प्रभारी अधिवक्ता निम्नलिखित कागज/पत्र भेजेगा:-
  - क-वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट
  - ख-प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप
  - ग-उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइलें करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
  - घ-मामले में विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज/पत्रों की प्रतियाँ इसमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अदगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश /निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उशी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।

- (10) यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं डों।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंपने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हरसंभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी न रह जावे।
- (13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभिभाषक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभिभाषक मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाय विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(बबीता तसुनिया)

अवर सचिव

प्र.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं  
निःशक्तजन कल्याण विभाग